vinetur

भारत ने ब्रिटेन से आने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की पर 75% शुल्क दर लागू करने की बात कही

यह आश्वासन सीमा शुल्क विवाद के बाद आया है, जिसमें 150% शुल्क की मांग के बीच भारत के बंदरगाहों पर दर्जनों कंटेनर रोक दिए गए थे

शुक्रवार, 13 नवंबर 2026



भारत ने शुक्रवार, 13 नवंबर को कहा कि वह लंदन के साथ व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन से आयात होने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की पर पहले से घोषित शुल्क कटौती लागू करेगा। भारतीय बंदरगाहों पर खेपों को लेकर सीमा शुल्क विवाद जारी है।

भारत के व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों से बातचीत की है और नई दिल्ली समझौते में तय शुल्क रियायतों का पालन करेगी। उनकी टिप्पणी ऐसे विवाद के बीच आई है जिसने ध्यान खींचा है : सीमा शुल्क जांचकर्ता कुछ खेपों पर 150% आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि व्यापार समझौते में दर घटाकर 75% करने का प्रावधान है।

यह बयान व्यापार समझौते में पहले से शामिल शर्तों की फिर से पुष्टि करता है, शुल्क में किसी नई कटौती की घोषणा नहीं। विवाद इस बात पर केंद्रित है कि जुलाई में समझौता लागू होने के बाद सीमा शुल्क अधिकारी सीमा पर रियायत उसी तरह देंगे या नहीं, जैसी आयातकों ने अपेक्षा की थी।

मामला थोक स्कॉच व्हिस्की के दर्जनों कंटेनरों का है, जिन्हें भारतीय बंदरगाहों पर रोककर रखा गया है। भारतीय अधिकारियों द्वारा उद्धृत शर्तों के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए समझौते के तहत इन आयातों पर 75% शुल्क दर लागू होनी चाहिए। हालांकि, सीमा शुल्क जांचकर्ता 150% दर लागू करने पर जोर दे रहे हैं। इससे संधि में मिली रियायत और जांच में मांगे जा रहे शुल्क के बीच 75 प्रतिशत अंकों का अंतर पैदा हो गया है।

यह अंतर आयातकों के लिए खासा महत्वपूर्ण है। समान कर-आधार पर 150% के बजाय 75% शुल्क लगाने से शुल्क का बोझ आधा हो जाएगा। हालांकि, इसका यह अर्थ अपने आप नहीं है कि व्हिस्की की अंतिम खुदरा कीमत भी आधी हो जाएगी, क्योंकि बिक्री मूल्य में परिवहन, भंडारण, बोतलबंदी, वितरण, राज्य स्तर के कर और कंपनियों का मार्जिन भी शामिल होता है।

यह मामला इस बात की शुरुआती परीक्षा बन गया है कि भारत अपनी व्यापार प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में कैसे लागू करेगा। स्कॉच व्हिस्की के लिए भारत एक बड़ा आयात बाजार है, जबकि विवाद में शामिल उत्पाद का स्रोत ब्रिटेन है। थोक में माल भेजने वाली कंपनियों के लिए सवाल सिर्फ समझौते में दर्ज शुल्क दर का नहीं, बल्कि यह भी है कि माल पहुंचने पर सीमा शुल्क अधिकारी लगातार कम दर को मान्यता देंगे या नहीं।

यह घटनाक्रम भारत सरकार के भीतर जिम्मेदारियों के बंटवारे को भी उजागर करता है। वाणिज्य मंत्रालय व्यापार नीति और ब्रिटेन के साथ समझौते के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय सीमा शुल्क अधिकारियों की निगरानी करता है, जो बंदरगाहों पर शुल्क निर्धारण और नियमों को लागू करने का काम संभालते हैं। अग्रवाल की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि सीमा शुल्क प्रक्रिया के व्यापार प्रतिबद्धता से अलग दिशा में जाने की चिंताओं के बाद सरकार इन जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है।

यह विवाद बुधवार, 11 नवंबर को सार्वजनिक हुआ, जब ऐसी चिंताएं सामने आईं कि सीमा शुल्क जांचकर्ताओं की ओर से अधिक शुल्क की मांग के बीच कंटेनरों को रोका जा रहा है। शुक्रवार, 13 नवंबर को अग्रवाल का बयान अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत था कि भारत सरकार द्विपक्षीय समझौते में दर्ज रियायत पर कायम रहने का इरादा रखती है।

फिर भी, सरकार की टिप्पणी से यह संकेत नहीं मिला कि कंटेनरों को छोड़ दिया गया है और न ही यह स्पष्ट हुआ कि सीमा शुल्क प्रक्रिया को लेकर विवाद का अंतिम समाधान हो गया है। बयान में यह भी नहीं बताया गया कि असहमति उत्पाद के वर्गीकरण, दस्तावेजों या जांचकर्ताओं की अधिक दर की मांग के किसी अन्य आधार से जुड़ी है।

इससे आयातकों और निर्यातकों के लिए एक अहम व्यावहारिक सवाल अनुत्तरित रह जाता है : क्या सरकार का नीतिगत रुख जल्द ही बंदरगाहों पर कार्रवाई में दिखेगा ? कारोबारियों को आम तौर पर सिर्फ व्यापार समझौते के पाठ में ही नहीं, बल्कि इस बात में भी स्पष्टता चाहिए होती है कि सीमा शुल्क अधिकारी हर खेप पर उसकी व्याख्या और अमल कैसे करते हैं।

ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता जुलाई में लागू हुआ था और इससे स्कॉच व्हिस्की समेत कई तरह के सामान पर व्यापार बाधाएं घटने की उम्मीद थी। भारत में व्हिस्की का आयात लंबे समय से राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसलिए सहमत दर और सीमा शुल्क विभाग की मांग के बीच किसी भी अंतर पर शराब उद्योग और दोनों देशों के व्यापार अधिकारी करीब से नजर रख सकते हैं।

फिलहाल, भारत सरकार ने ब्रिटेन से थोक स्कॉच व्हिस्की के आयात पर 75% शुल्क रियायत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूप से दोहराई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस रुख का असर भारतीय बंदरगाहों पर पहले से जांच के दायरे में आए कंटेनरों की सीमा शुल्क प्रक्रिया पर कितनी जल्दी दिखेगा।